"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी 2019 — फाल्गुन 9, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 9, 1940)

क्रमांक-3208/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) जो गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.

धारा 19 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 19 की उप-धारा (1) में, -

(एक) खण्ड (ग) के परंतुक के पश्चात्, अल्प विराम चिन्ह "," के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) खण्ड (ग) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि यदि नगरपालिका तथा/या नगर पंचायत के आम चुनाव में, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति नहीं चुना जाता हो, तो राज्य शासन, ऐसी नगरपालिका तथा/या नगर पंचायत में, जैसा भी समुचित हो, एक दिव्यांग व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट दिव्यांग सदस्य, इस खण्ड के अधीन मनोनीत सामान्य सदस्यों के अतिरिक्त होगा.

स्पष्टीकरण : इस परंतुक के प्रयोजन के लिये दिव्यांग व्यक्ति से अभिप्राय होगा, किसी शासकीय चिकित्सक द्वारा सम्यक् रूप से यथा प्रमाणित व्यक्ति, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की अनुसूची में सम्मिलित एक या अनेक दिव्यांगता हो, सिवाय सरल क्रमांक 2 (बौद्धिक दिव्यांगता) और 3 (मानसिक व्यवहार) में उल्लिखित दिव्यांगता के;"

उद्देश्य और कारणों का कथन

संविधान द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, राज्य शासन, सार्वजनिक जीवन तथा शासन सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु कृत संकल्पित है. इस दिशा में प्रथम चरण के रूप में, यह आवश्यक हो गया है कि स्थानीय नगरीय निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी बात रखने को अवसर दिया जाये.

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यह प्रस्तावित है कि यदि आम चुनाव में नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत में न्यूनतम एक दिव्यांग व्यक्ति निर्वाचित होकर नहीं आते हैं, तो शासन को नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत में समाज के ऐसे वर्ग से एक दिव्यांग व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा.

अतएव, उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) में संशोधन करना आवश्यक है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 25 फरवरी, 2019

डॉ. शिवकुमार डहरिया
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 19 की उप-धारा 1 का खण्ड (ग) का सुसंगत उद्धरण

धारा 19. की उप-धारा (1) नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

"(ग) नगरपालिका परिषद् का दशा में पांच से अनधिक और नगर पंचायत की दशा में तीन से अनधिक नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये हो :

परन्तु केवल ऐसा व्यक्ति ही नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जो नगर पालिका क्षेत्र में निवास करता है और जो पार्षद के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये अपात्र नहीं है,

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.